फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

मुकेश कुमार वगै0 बनाम शिम्भूदयाल वगै0

मुकदमा नम्बर : 12/2009

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 के आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट के अपील प्रा0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील रेस्पोडेण्टस सं0 2 ने अपनी बहस में अपील प्रा0 पत्र में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने जिस विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2008 के आधार पर नामान्तकरण खारिज कर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार करने की प्रार्थना चाही गई है। वह विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2008 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर द्वारा निर्णय 23.01.2018 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2008 शुन्य एवं अकृत घोषित कर निरस्त कर दिया है तथा अपीलान्ट को पाबन्द भी कर रखा है। अतः नामान्तकरण की अपील का कोई औचित्य नही रहा है। इसलिए कार्यवाही समाप्त कर अपील खारिज फरमायी जावे। वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2008 को ए0डी0जे0–5 डिस्ट्रीक कोर्ट के निर्णय दिनांक 23.01.2018 द्वारा शुन्य व अकृत घोषित कर दिये जाने के कथनों के साथ प्रस्तुत किया है। किन्तु रेपोडेन्ट ने उक्त आदेश के लिये कही भी यह अंकित नही किया कि उक्त आदेश की अपील का समय निकल चुका है व निर्णय अन्तिम हो चुका है। जबकि उक्त निर्णय अभी अन्तिम नही हुआ है। अन्दर मियाद अपीलान्ट ने निर्णय दिनांक 23.01.2018 की अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच के समक्ष उनवानी अताय रसूल वगैरह बनाम शिम्भूसिंह वगैरह के नाम से पेश कर रखी है ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण प्रकरण को खारिज निर्णय दिनांक 23.01.2018 के आधार पर नही यिका जा सकता है, लिहाजा प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें। प्रकरण में आगे प्रभावी कार्यवाही जेरकार रखी जावें। पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट का अपील प्रा0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि अपीलान्ट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 के साथ निर्णय दिनांक 23.01.2018 की अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच के समक्ष विचाराधीन होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किये। चुकि माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर द्वारा निर्णय 23.01.2018 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2008 को शुन्य एवं अकृत घोषित कर निरस्त करने पर अब उक्त अपील प्रार्थना पत्र को कोई औचित्य नही है। ऐसी स्थित में रेस्पोडेण्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर	